दिनांक 12.05.2023 को आयोजित राज्य उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त
उपस्थिति संलग्न।

बिन्दु संख्या 01 उद्योग विभाग (औद्योगिक विकास/एम0एस0एम0ई0) से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – प्रोडक्शन लिंक इंसेन्टिव (पी0एल0आई0) और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपादान दिया जाय – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी प्रोडक्शन लिंक इंसेन्टिव स्कीम चलाई जानी चाहिये। इससे घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उत्पादन बढ़ने पर रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे। श्री गुप्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रोडक्शन लिंक इंसेन्टिव स्कीम को एम0एस0एम0ई0 के तहत लाया जाना चाहिये।

(ii) – एकीकृत आर्थिक एवं रचनात्मक केन्द्रों कि स्थापना – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में एकीकृत आर्थिक एवं रचनात्मक केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें जनपद में छात्रावासों के साथ–साथ उद्यमिता/कौशल विकास केन्द्रों, रचनात्मकता एवं नवाचार केन्द्रों तथा फ्लैटेड फैक्ट्री शेड कॉम्प्लेक्स और टूल रूम को जोड़कर एक रचनात्मक केन्द्र स्थापित होगा, जहां पर कई प्रकार की स्किल विशेष पर कार्य किया जायेगा तथा स्किल में दक्ष होने वाले व्यक्तियों को उस स्किल से संबंधित स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे बेरोजगारी तो दूर होगी ही साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के लिए भी यह केन्द्र हितकारी साबित होंगे।

(iii) – औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित/विनियमित किये जाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के प्रतिनिधि द्वारा मा0 मुख्यमंत्री/अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विनियमित किया जाना चाहिये। उनके द्वारा कोविड–19 के समय का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि कोविड–19 में मात्र उन्हीं उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई थी, जो विनियमित क्षेत्रों में स्थापित थे। इससे कई इकाईयों को आर्थिक हानि हुई थी चूंकि संचालन की अनुमति न मिलने के कारण उनका कच्चा काल इकाई में या बन्द ट्रकों में ही खराब हो गया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार इस संबंध में एक नोटिफिकशन जारी करे ताकि औद्योगिक इकाईयों को भविष्य में असहजता से दोचार न होना पड़े।

(iv) – औद्योगिक एवं अकादमिक लिंक सैल की स्थापना – आई0ए0यू0 के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में लगभग 30 यूनिवर्सिटी स्थापित हैं। वर्तमान समय में अकादमी एवं औद्योगिक इकाईयों का आपस में कोई समन्वय नहीं है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि एक समय अन्तराल पर औद्योगिक संघों एवं अकादमिक संस्थानों की एक अनिवार्य बैठक किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इससे आपस में विचार साझा होने के साथ–साथ पाठ्यक्रम सहित कई क्षेत्रों में व्यवहारिक स्थिति स्पष्ट होगी।

(v) – औद्योगिक प्लाटों को फ्री होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों को लीज पर भूमि दी हुई है। इनमें से विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत रहते काफी समय बीत चुका है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो चुकी है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि जिन उद्योग को कार्यरत हुए 15 वर्ष या उससे भी अधिक समय हो गया है एवं भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो गयी है, ऐसे उद्योगों की भूमि को फ्री–होल्ड कराने की कृपा की जाये।

इस पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक फ्री होल्ड करने पर वहां कई प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती हैं जिससे उस क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को कार्य करने में असजता उत्पन्न होगी। जिस कारण इस बिन्दु पर फिलहाल कोई निर्णय लेने सम्भव नहीं है। चूंकि औद्योगिक वातावरण को बनाये रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

(vi) – सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत उद्यमियों को आ रही परेशानियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में – बैठक में के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अवगत कराया गया कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात विभिन्न विभागों में उद्यमियों को स्वयं जाकर कागजात जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उद्यमियों के लिए सरकार की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की अवधारणा भी पूर्ण नहीं होती है। अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि सिंगल विण्डों एक्ट अन्तर्गत यह प्रावधान किया जाना चाहिये कि सभी विभागों द्वारा एक समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए। यदि निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाता है, तो उस विभाग की स्वतः ही अनापत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि सिंगल विण्डों सिस्टम को सरल, सुविधाजनक एवं अधिक प्रभावी बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(vii) – केन्द्र सरकार द्वारा ''हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के लिये स्वीकृत इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट स्कीम–2017'' के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों के पंजीकरण पर विचार किये जाने तथा योजना की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में – औद्योगिक संघ सी0आई0आई0 के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 23 अप्रैल, 2018 को उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ''हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017'' की घोषण की गयी थी जो कि 01.04.2017 से 31.03.2022 तक प्रभावी थी। उक्त नीति अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लगभग 1110 मामले थे, जिसमें से डी0पी0आई0आई0टी0 द्वारा 299 मामलों पर अनुमोदित पूर्व पंजीकरण किया गया था। वर्तमान में भी डी0पी0आई0आई0टी0 में लगभग 554 मामले पूर्व पंजीकरण अथवा अनुमोदन हेतु लम्बित हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि मार्च 2022 तक पंजीकृत सभी आवेदन का संज्ञान लेकर उनको उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त योजना के लाभ हेतु मात्र वे इकाईयां पात्र हैं, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराने उपरान्त 18 माह के भीतर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। इस संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि कोविड–19 के कारण लगभग 2 वर्षों में तक जो उद्योग प्रस्तावित थे, वे धरातल पर नहीं उतर सके थे, जिस हेतु ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये उक्त योजना की

अवधि को बढ़ा कर 31 मार्च, 2027 तक कराये जाने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही कराने की कृपा करें। ताकि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो सके।

(viii) – **इलैक्ट्रिक वाहनों के उत्पादकों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु इलैक्ट्रिक वाहन नीति बनायी जानी चाहिए –** सी0आई0आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में हम इलैक्ट्रिक वाहनों की ओर अग्रसर हैं। कई राज्यों ने इलैक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन एवं इस क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु नीति का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है परन्तु उत्तराखण्ड के उद्यमी इस दिशा में कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं चूंकि राज्य सरकार द्वारा इलैक्ट्रिक वाहनों के उत्पादों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात की तर्ज पर इलैक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए आकर्षक उपादान सहित नीति तैयार की जाये। साथ ही उनके द्वारा इसको राज्य हित में बताते हुए कहा गया कि यह इलैक्ट्रिक वाहनों का प्रारम्भिक दौर है। इस समय यदि हमारे पास अच्छी नीति होगी, तो राज्य में बड़ा निवेश होने की अपार सम्भावनायें हैं।

(ix) – **ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में –** सी0आई0आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड भारत में ऑटोमोबाइल सैक्टर का सबसे बड़ा उत्पादन बाजार है। ऐसे में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने हेतु विशेष तौर पर आकर्षक इन्सेन्टिव के साथ नीति तैयार की जानी चाहिये ताकि अन्य राज्य के उद्यमी भी नीति से आकर्षित होकर राज्य में इन्वेस्ट करें एवं उत्तराखण्ड के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भारत के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल सके।

(x) – **बायोमास आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में –** हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अवगत कराया गया कि बायोमास आधारित कई उद्योग प्रदेश में स्थापित हो सकते हैं। जैसे – फाइबर एवं एथेनॉल ये संबंधित इकाईयों सहित अन्य बायोमास आधारित इकाईया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 अन्तर्गत बायोमास आधारित इकाईयों को सपूर्ण राज्य में ''ए'' श्रेणी में चिन्हित किया जाये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि परूल का उपयोग पहाड़ी जनपदों/क्षेत्रों में ही किया जाये। इसके लिए बायोमास आधारित चूल्हे राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में निःशुल्क अथवा सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराये जाये। इससे एल0पी0जी0 की भी बचत होगी चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे–छोटे रेस्टोरेन्ट/होटल की अधिकता है, जो कि एल0पी0जी0 का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि वह बायोमास चूल्हें का उपयोग करेंगे तो ईंधन की बचत भी होगी एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न भी होंगे।

(xi) – **हल्द्वानी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के संबंध में –** हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अवगत किया गया कि कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी क्षेत्र में कई प्रकार के छोटे व बड़े उद्योग वर्तमान में संचालित हैं। इस क्षेत्र में उद्योग भूमि की उपलब्धता के अनुसार जगह–जगह स्थापित हो रहे हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक आस्थान की स्थापना की जाये ताकि क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योग अलग–अलग स्थानों पर

न स्थापित होकर एक संगठित क्षेत्र में ही स्थापित हो सकें। इससे उस क्षेत्र विशेष को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान भी मिलेगी एवं शहर प्रदूषण व गन्दगी से भी मुक्त रहेगा।

(xii) – **एम0एस0एम0ई0 उद्योगों के लिये ऋण सम्बन्धी विषेश व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में –** श्री निशान सिंघल, सचिव, लघु उद्योग भारती द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में ऋण की आपूर्ति में कमी के कारण, क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण की अपेक्षा कुल व्यवसायिक ऋण में एक बड़ा अन्तर है। एम0एस0एम0ई0 उद्योग के लिये ऋण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति के संबंध में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नीति में पूंजी उपादान को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है परन्तु उपादान को 07 साल में 07 बराबर भागों में वितरण की व्यवस्था की गई है, जिससे उद्योगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ब्याज उपादान का उल्लेख प्रस्तावित नीति में नहीं किया गया है। इस पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति में ब्याज उपादान को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुए उपादान सहायता पूर्व की भांति एक किश्त में ही प्रदान की जानी चाहिये।

(xiii) – **उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में –** श्री निशान सिंघल, सचिव, लघु उद्योग भारती द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि उत्तराखण्ड की महिलाओं की प्रतिभा का भली–भांति उपयोग नहीं हो पा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रो में महिलाओं से सम्बन्धित कार्यों का ब्यौरा बनाकर, रूचिकर कार्य से सम्बन्धित उद्योगों को पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाये। इससे पलायन पर रोक लगेगी तथा महिलायें आत्मनिर्भर भी बनेंगी।

(xiv) – **इन्वेस्टर्स समिट तथा इन्टरनेशनल कॉन्क्लेव आयोजन के सम्बन्ध में** – सिडकुल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर अथवा नवम्बर 2023 में जनपद हरिद्वार में इन्वेस्टर्स समिट तथा इन्टरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा बैठक में उपस्थित सभी औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योगपतियों को ही उद्योगों का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया गया है। अतः उनके द्वारा सभी औद्योगिक संघों से समिट में प्रतिभाग कर इसे सफल बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

बिन्दु संख्या 02 – पर्यटन विभाग/निर्माण विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – **पर्यटन स्थलों पर सिविल कार्य हेतु पर्यटन उद्योग से परामर्श किया जाना के संबंध में –** सीआईआई के प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड में पर्यटन स्थलों के आस–पास या आगमन स्थानों पर निर्माण इकाईयों द्वारा सड़क/पुलिया आदि का निर्माण कार्य किसी भी समय आरम्भ कर दिया जाता है। पर्यटन सीजन में इस प्रकार के निर्माण से पर्यटकों को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पर्यटन क्षेत्रों के आगमन व आस–पास के क्षेत्रों में सड़क/पुलिया आदि के निर्माण कार्य से पूर्व वहां उपस्थित पर्यटन उद्योगों से विचार–विमर्श अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।

बिन्दु संख्या 03 – राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – एमनेस्टी योजना लागू किये जाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कई राज्यों सहित केन्द्र सरकार द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों में राजस्व विवादों के निपटारे, करों के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की गई है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उत्तराखण्ड में राजस्व विभाग के लम्बित करों के सैटलमेन्ट हेतु अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एमनेस्टी योजना का परीक्षण कर इस प्रकार की उत्तराखण्ड में भी लागू की जानी चाहिये।

(ii) – वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को रूकवाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग नीति में वैट प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत वाणिज्यकर विभाग द्वारा वर्तमान में भी इकाईयों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिस कारण उद्योगों की सुगमता के लिए तैयार नीति से सुविधा के स्थान पर असुविधा उत्पन्न हो रही है। श्री पंकज द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी नोटिसों को रूकवाते हुए शासन स्तर पर इसका स्थाई हल निकाला जाना चाहिए।

(iii) – जी0एस0टी0 व्यवस्था के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पर्वतीय उद्योग नीति अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वैट प्रतिपूर्ति नीति लागू की गई थी। योजनान्तर्गत जीएसटी विभाग द्वारा उद्यमियों को वैट प्रतिपूर्ति के संबंध में नोटिस भेजे जा रहे है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जीएसटी विभाग एवं उद्यमियों को वैट प्रतिपूर्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिस कारण विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनके द्वारा इस संबंध में नियम स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया।

(iv) – आतिथ्य उद्योग में अचल संपत्तियों पर जी0एस0टी0 इनपुट क्रेडिट पर प्रतिबंध हटाये जाने के संबंध में – सी0आई0आई0 के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जब कोई उद्यमी अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करता है, तो उसे अपनी इकाई के भवन पर जी0एस0टी0 इन्पुट प्रदान किया जाता है परन्तु होटल उद्योग में इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि होटल उद्योग को भी अचल संपत्तियों पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्रदान किया जाना चाहिये। चूंकि होटल उद्योग के लिए परिसर और सभी अचल संपत्ति संयंत्र और मशीनरी हैं जिन पर इनपुट क्रेडिट की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

इस पर अध्यक्ष महोदय/मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि वैट/जीएसटी, सी–फार्म से संबंधित बिन्दुओं पर उद्योग संघों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इससे संबंधित बिन्दुओं को उत्तराखण्ड कैबिनेट के सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत भी किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 04 – सीडा से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों को योजनाओं का पूर्ण ज्ञान न होने के संबंध में – लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार की उपादान योजनायें चलाई जा रही हैं एवं सेवाओं को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी बनाये गये हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण

योजनाओं का लाभ स–समय उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों के कार्मिकों को योजनाओं एवं ई–पोर्टल के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना चाहिये।

(ii) – मेप अप्रूवल हेतु सीडा को अधिकृत किये जाने के संबंध में – सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल क्षेत्र से बाहर एवं सिडकुल के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदित कराये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उद्योगों के लिए मैप अप्रूवल हेतु सीडा को अधिकृत किया जाना चाहिए। उनके द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि इकाई में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हानि होने पर बीमा कम्पनी द्वारा इकाई का अप्रूप्व मैप मांगा जाता है। इस हेतु औद्योगिक मैप अप्रूवल हेतु सीडा को अधिकृत किया जाना चाहिये।

इस पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में पूर्व मे ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्णय किया जा चुका है जिसमें आवास विभाग द्वारा एनओसी प्रदान की जा रही है एवं शासन के ज्ञाप में यह स्पष्ट किया गया है कि सीडा ही सभी औद्योगिक इकाईयों हेतु नक्शा पास करने हेतु अधिकृत रहेगा।

(iii) – औद्योगिक इमारतों की ऊंचाई बड़ाये जाने के संबंध मे – बैठक में उपस्थित औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून में भूमि की कीमत अत्यधिक है, जिस कारण नयी इकाई स्थापना हेतु अथवा इकाई के विस्तार हेतु प्रथक से भूमि का क्रय किया जाना काफी मुश्किल होता है। इसके समाधान के रूप में औद्योगिक इकाईयों को ग्राउण्ड क्लीयरेंस एवं ऊंचाई बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

इस पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021 में ग्राउण्ड क्लीयरेंस को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि इसमें और सुगमता या सरलता की आवश्यकता है, तो उद्यमी अपने सुझाव लिखित में प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर इस बिन्दु का परीक्षण कराया जायेगा।

बिन्दु संख्या 05 – सिडकुल से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – औद्योगिक पार्क व सिडकुल सितारगंज की आंतरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में – के0जी0सी0सी0आई0 के सदस्य श्री अशोक बंसल द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज की आंतरिक सड़के बहुत खराब हो गई हैं, जिस कारण औद्योगिक प्रयोजन में लगे वाहनों को आवागमन में समस्या होती है।

एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 के अध्यक्ष श्री कृष्ण सत्यवली द्वारा चोरगलिया मार्ग का निर्माण होने पर मा0 मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए निम्न बिन्दु सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये –

- सिडकुल सिडतारगंज से सितारगंज तक फोरलेन का निर्माण न होने के वहां नये उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान तक मात्र 20 से 25 इकाईयां की स्थापित हुई हैं।
- सिडकुल सितारगंज का मैन्टेनेन्स का कार्य एल्डिको सिडकुल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सिडकुल सितारगंज में नालियों, चाहर दिवारे क्षतिग्रस्त हैं। समय–समय पर जंगली जानवर सिडकुल परिसर में आ जाते हैं, जिससे वहां कार्य कर रहे श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों को जन हानि का खतरा बना रहता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि सिडकुल की आंतरिक सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ किया जायेगा एवं सड़कों को औद्योगिक आवागमन की दृष्टि से सुगम भी बनाया जायेगा।

एल्डिको सिडकुल एवं सिडकुल सितारगंज के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल का जो एरिया सितारगंज सिडकुल के अन्दर आता है, उसमें लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रू0 04.50 करोड़ की लागत से मरम्मत आदि का कार्य सम्पन्न कराया गया था। एल्डिकों सिडकुल के संबंध में अवगत कराया गया कि एल्डिको द्वारा पूर्ण सिडकुल को टेकओवर किया जायेगा तथा वनटाइम सेटलमेन्ट पर व्यय धनरशि का भार एल्डिको द्वारा वहन किया जायेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सिडकुल सितारगंज से सिडकुल तक फोरलेन निर्माण के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस फोरलेन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसे निकट भविष्य में आरम्भ कराया जायेगा।

(ii) – औद्योगिक आस्थानों के अन्तर्गत अतिक्रमण की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में – सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों/सिडकुल में अतिक्रमण बढ़ जाने के कारण औद्योगिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे विनिर्माण कार्य भी प्रभावित होता है। उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि औद्योगिक/सिडकुल क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाये जाने एवं पुनः अतिक्रमण स्थापित न हो इस हेतु व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्य आरम्भ किया जा चुका है। योजनाबद्ध तरीके से नियमित कार्य करते हुए सभी क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जायेगा। इसी क्रम में राज्य के सिडकुल व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से भी अतिक्रमण को पूर्णतः समाप्त किया जायेगा।

(iii) – क्लस्टर में स्थापित सीईटीपी को सभी औद्योगिक समूहों तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में – सीआईए के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल क्षेत्र में या अन्य बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी की समूचित व्यवस्था की गई है परन्तु सिडकुल/औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थापित उद्योगों को सीईटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये चूंकि किसी भी एकल इकाई को स्वयं का सीईटीपी प्लांट स्थापित करना काफी महंगा होता है एवं उसका संचालन करना कठिन कार्य है। अतः सिडकुल या अन्य जगह स्थापित सीईटीपी प्लांटों का लाभ संगठित औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थापित उद्योगों को भी प्रदान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

इस पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल या अन्य क्षेत्रों में स्थापित सीईटीपी का उपयोग अन्य इकाईयों द्वारा भी किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। औद्योगिक संघों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें उक्त आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि उक्त आदेश को औद्योगिक संघों के साथ साझा करने के साथ–साथ संबंधित वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाये।

(iv) – उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति /नवीनीकरण ऑटो मोड द्वारा किये जाने के संबंध में – सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

द्वारा जारी की जाने वाली समस्त एनओसी ऑटो मोड पर की जानी चाहिये। साथ ही नवीनीकरण के लिए भी ऑटो मोड की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे कार्यालयों में आने–जाने में लगने वाले समय की बचत भी होगा एवं हम ई–प्लेटफोर्म की ओर भी अग्रसर होंगे। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि नवीनीकरण प्रक्रिया 03 वर्षों तक स्वतः ही होती रहनी चाहिये।

आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा प्रदूषण की सफेद श्रेणी के संबंध में अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश एवं देश में सफेद श्रेणी को सुगमता की दृष्टि से देखा जाता है। बोर्ड के निर्णयानुसार सफेद श्रेणी के उद्योगों को कंसेन्ट टू स्टेबलिस लिया जाना अनिवार्य है जबकि सीपीसी के आदेश है कि ''सफेद श्रेणी की इकाईयो को मात्र यह सूचना उपलब्ध करानी है कि वह सफेद श्रेणी की इकाई है एवं उसे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना है।'' उनके द्वारा गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि के उदाहरण देते हुए अनुरोध किया गया कि इज ऑफ डूइन्ग बिजनेस कि अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में भी सफेद श्रेणी का विस्तार कर इसमें अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बिन्दु पर विचार–विमर्श कर उद्योगों के हित में सरलीकरण किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 06 – खनन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – पल्वराईजर इकाईयों को लाईसेन्स की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से प्रदान किये जाने के संबंध में – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अवगत कराया गया कि मिनरल प्रकृति की इकाईयों में सबसे कम प्रदूषण पल्वराईजर इकायों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकांश छोटी इकाईयां ही कार्यरत हैं, जिन्हें लाईसेन्स से संबंधित कार्य हेतु देहरादून जाना पड़ता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पल्वराईजर इकाइयों को लाईसेन्स की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से मिलनी चाहिये ताकि अनावश्यक रूप से इकाई प्रतिनिधियों को देहरादून न जाना पड़े।

(ii) – सोप स्टोन भण्डारण लाईसेन्स की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से किये जाने के संबंध में – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अवगत कराया गया मैगनेसाईट भण्डारण की तर्ज पर सोप स्टोन भण्डारण की अनुमति शासन स्तर से हटाकर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। साथ ही उनके द्वारा उद्यमियों की मांग पर सॉप स्टॉन पर रॉयलटी कम करने पर मा0 मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया।

(iii) – एन.बी.मिनरल कार्पोरेशन पिथौरागढ़ को खनन कार्य की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में – एन0बी0 मिनरल कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि गलत शिकायतों/सूचनाओं के आधार पर उनकी इकाई पर माइनिंग करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि एन0बी0 मिनरल को खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

इस पर सचिव उद्योग, श्री पंकज पाण्डे द्वारा मा0 मुख्यमंत्री एवं सदन को अवगत कराया गया कि एन0बी0 मिनरल कॉर्पोरेशन पर एनजीटी द्वारा रू 02.00 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसके क्रम में इकाई द्वारा मा0 सर्वोच्च न्ययालय में रिट दायर की गई जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इकाई को रू 80.00 लाख रूपये

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पास जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में इकाई द्वारा रू0 80.00 लाख जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को जमा करा दिये गये हैं। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में गतिमान है एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के उपरान्त आदेशों के अनुपालनार्थ कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु संख्या 07 – वन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – लीसा पर स्टाम्प डयूटी 2 प्रतिशत किये जाने के संबंध में – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा लीसा इकाईयों की सिक्योंरिटी/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा धनराशि को वापस किये जाने पर मा0 मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि जो धनराशि वन निगम द्वारा बिल के अन्दर चार्ज की गई थी, वे अभी वापस नहीं की गई है। साथ ही उनके द्वारा यह अनुरोध भी किया गया कि लीसा पर स्टाम्प ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत की जाये ताकि लीसा इकईयों को प्रोत्साहित किया जा सके। उद्यमियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी लीसा नीति का सरलीकरण किया जाना चाहिये।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया वन निगम द्वारा बिल के अन्दर वसूली जाने वाली धनराशि की वापसी के लिए एक प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध करायें। प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षण कराकर उद्योगों के हित में कार्यवाही की जीयेगी। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की लीसा नीति का परीक्षण कराकर उत्तराखण्ड की लीसा नीति को अधिक प्रभावी व उद्यमियों के हित में सरलीकरण किया जायेगा।

(ii) – अन्य प्रदेश की इकाईयों को लीसा पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाये जाने के संबंध में – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अनुरोध किया गया कि बाहरी राज्य की इकाईयों को उत्तराखण्ड से लीसा खरीदने पर 12.5 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाना चाहिये। इससे उत्त्राखण्ड का लीसा अन्य प्रदेश में नहीं जा सकेगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि लीसा बिक्री नीति को भली–भांति पढ़कर सुधार हेतु बिन्दु तैयार कर शासन को उपलब्ध करायें। उन बिन्दुओं का परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु संख्या 08 – ऊर्जा/उरेडा विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को संशोधित मानक दरों के आधार पर उपादान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधि एवं के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जो सौर ऊर्जा नीति तैयार की गई है, उसके संबंध में सुझाव देते हुए अवगत कराया गया कि राज्य मे उचित स्थानों पर सोलर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु उद्यमियों/निवेशकों को सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। उद्यमियों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सौर ऊर्जा पावर के ट्रांसमिशन के लिए इन्फ्रास्ट्रकचर की योजना भी लागू की जानी चाहिये। एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उद्योगों को सौर ऊर्जा उत्पादन में अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है, जिस कारण उद्योग सौर ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि

राज्य हित में विद्युत उत्पादन की बचत हेतु उद्योगों के सौर ऊर्जा के अधिकतम उत्पादन की सीमा को समाप्त किया जाना चाहिये।

(ii) – **कोटाबाग औद्योगिक क्षेत्र में बिजली लाईन के डाईवर्जन किये जाने के सम्बध में** – हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्री के सचिव श्री मनोज डागा द्वारा अवगत कराया गया कि कोटाबाग औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत लाइन का अधिंकाश हिस्सा जंगलों से होकर गुजरता है। ऐसे में बारिस, आंधी आदि से विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है। यूपीसीएल हल्द्वानी द्वारा उक्त लाइन का डाईवर्जन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा सचिव श्री मीनाक्षी सुन्दरम से उक्त प्रस्ताव के संबंध में जानकारी चाही गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कोटाबाग क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, जिस पर कार्यवाही हेतु मैप तैयार किया जायेगा।

(iii) – **उद्योगों में पावर की रोस्टिंग को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में** – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अवगत कराया गया कि अनियमित रोस्टरिंग के कारण उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। रोस्टरिंग के कारण कन्टीन्युअस प्रोसेस के उद्योगों को तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उद्योगों को रोस्टरिंग की समस्या से छुटकारा दिलाए जाने हेतु शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

उनके द्वारा यह भी अवगत करायाा गया कि सामान्य क्षेत्रों एवं सिडकुल/औद्योगिक क्षेत्रों को एक ही फीडर से सप्लाई प्रदान की जा रही है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि औद्योगिक फीडर व लोकल विद्युत फीडर को अलग–अलग किया जाना चाहिये इससे फीडरों पर लोड भी कम होगा एवं विद्युत सप्लाई सहित आदि कई कार्यों हेतु समय का निर्धारण औद्योगिक प्रयोजन की व्यवस्थाओं एवं लोकल मांग के आधार पर किया जा सकेगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एम0डी0 ऊर्जा को निर्देशित किया गया कि रोस्टिंग से पूर्व जिस क्षेत्र में रोस्टिंग हो उस क्षेत्र की इकाईयों को पूर्व सूचना उपलब्ध करा दें ताकि वे अपना उत्पादन कार्य उसके अनुरूप ही कर सके एवं आवश्यकता होने पर ही रोस्टिंग की जाये एवं फीडर के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के फीडरों को चिन्हित कर उनकों अलग–अलग किये जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाये।

(iv) – **जनपद उधम सिंह नगर के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थापित सब स्टेशनों के रख रखाव एवं क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में** – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थापित कई सब–स्टेशनों को रख रखाव व क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है। चूंकि जब उनको स्थापित किया गया था उस समय के अनुरूप वह सही थे परन्तु वर्तमान में विद्युत लोड बढ़ने के कारण विद्युत सब–स्टेशनों की क्षमता वृद्धि किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस पर एम0डी0 ऊर्जा द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा 01 वर्ष के भीतर अधिकांश सब–स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के साथ रख–रखाव का कार्य भी किया जायेगा।

(v) – काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्वीकृत 132 केवी पावर सब स्टेशन की स्थापना के संबंध में तथा रूद्रपुर क्षेत्र कुरैया व सितारगंज में निर्माणाधीन सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अवगत कराया गया कि काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्थित औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ती हुई विद्युत माँग को पूरा करने तथा उद्योगों में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुरादाबाद रोड पर यूपीसीएल द्वारा कई वर्ष पूर्व एक 132 केवी पावर सब–स्टेशन स्वीकृत किया गया था परन्तु उसकी स्थापना का कार्य अभी तक भी आरम्भ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रूद्रपुर स्थित ग्राम कुरैया व सितारगंज औद्योगिक पार्क में निर्माणाधीन 33 केवी पावर सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है जिससे क्षेत्र के उद्योगों को विद्युतापूर्ति में अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एमडी ऊर्जा को निर्देशित किया गया कि उक्त दोनों समस्याओं का समाधान आगामी राज्य उद्योग मित्र बैठक से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये।

बिन्दु संख्या 09 – वित्त/राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा –

(i) – सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क की गणना में अस्पष्टता के सम्बन्ध में – आई0ए0यू0 के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सर्किल रेट के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिस कारण आमजन एवं उद्योगों को हानि हो रही है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सर्किल रेट गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाये जिसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिंक किया जाये ताकि कोई भी व्यक्ति सर्किल रेट आसानी से चैक कर सके।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त सुझाव पर विचार करने हेतु कहा गया साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क गणना के संबंध में जो अस्पष्टता है, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर की ओर से सर्किल रेट के संबंध में एक ज्ञाप जारी किया गया था जिसमें आवासीय एवं कॉमर्सियल शब्द का उल्लेख तो किया गया है परन्तु औद्योगिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। कॉमर्सियल रेट बहुत अधिक हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि एम0एस0एम0ई0 इकाईयों हेतु सर्किल रेट के ज्ञाप में औद्योगिक शब्द को भी सम्मिलित करते हुए सर्किल रेट में रियायत प्रदान की जानी चाहिये।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को दें जिसके क्रम में सर्किल रेट ज्ञाप में औद्योगिक शब्द को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) – राजकीय खरीद/सेवाओं के उपापन के समय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से 01 प्रतिशत तथा अन्य वाणिज्यिक उद्यमों से 03 प्रतिशत परफार्मेंस गारण्टी ली जाय –

(iii) – गैर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम श्रेणी–4 के तहत श्रेणी–1 (भूमिधारी अधिकार) के तहत कृषि भूमि के रूपांतरण को आसान बनाने तथा उत्तराखंड में सभी पर्यटन और आतिथ्य उद्देश्यों के लिए ऐसी भूमि का और सुगम एवं रियायती बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क प्रभार में पूर्ण रूप से छूट दी जानी चाहिए।

(iv) – उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी मण्डी शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या – 10 – श्रम विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा।

(i) – श्रम विभाग द्वारा इकाईयों का निरीक्षण किये जाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि औद्योगिक इकाईयों में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सभी इकाईयों में निरीक्षण किया जाता है। इससे इकाईयों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि मात्र उन इकाईयों में ही नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये, जो फैक्टरी अधिनियम के तहत खतरनाक उद्योगों या जिन इकाईयों के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई हो। इसके अतिरिक्त अन्य इकाईयों का नियमित निरीक्षण न किया जाये।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर या फैक्टरी अधिनियम के तहत खतरनाक उद्योगों का ही निरीक्षण किया जाये।

(ii) – कारखाना अधिनियम में परिवर्तन किये जाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि कारखाना अधिनियम अन्तर्गत किसी इकाई में 10 से अधिक श्रमिक होने पर इकाई को कारखाना अधिनियम अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। श्री पंकज द्वारा अवगत कराया गया कि श्रमिकों की निर्धारित संख्या को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है परन्तु आतिथि तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित श्रमिकों की संख्या 10 को बढ़ाकर दोगुना करने एवं इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

(iii) – बॉयलर के मामले में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन/आडिट को अनिवार्य न किये जाने के संबंध में – आई0ए0यू0 के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बॉयलर के मामले में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन/आडिट को अनिवार्य न किया जाये। इस पर बैठक में उपस्थित सचिव श्रम द्वारा उक्त बिन्दु को स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि इकाई अपने विवेकानुसार चाहे तो थर्ड पार्टी से ऑडिट कराये या विभाग से कराये। ऑडिट हेतु इकाई स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सचिव श्रम को निर्देशित किया गया कि इस विषय पर स्थिति पूर्णतः स्पष्ट करते हुए औद्योगिक प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया जाये। चूंकि पूर्व गठित नियमों/कानूनों को सरलीकरण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

(iv) – उद्योगों में रात्रिकालीन शिफ्ट में महिला कर्मकारों को कार्य करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उद्योगों में

रात्रिकालीन शिफ्ट में महिला कर्मकारों को इकाई में कार्य करने हेतु जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें इतने जटिल बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है, जिनको पूर्ण किया जाना लगभग असम्भव ही है।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि रात्रि शिफ्ट में कार्य करने आ रही महिलाओं की सुरक्षा, इकाई के सुचारू संचालन एवं कानून व्ययवस्था सुदृढ़ रहे, इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी की गई थी। परन्तु उद्योगों को आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा को केन्द्र में रखते हुए औद्योगिक संघ इस संबंध में अपने सुझाव से सरकार को अवगत करायें ताकि अन्य नियमों/कानूनों की भांति इस नियम का भी यथा सम्भव सरलीकरण किया जा सके।

(v) – **रूद्रपुर में नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में** – के0जी0सी0सी0आई0 के सदस्य श्री अशोक बंसल एवं एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के उपाध्यक्ष श्री श्रीकर सिन्हा द्वारा अवगत कराया गया कि रूद्रपुर में ईएसआईसी अस्पताल निर्मित है परन्तु पर्याप्त डॉक्टर एवं अन्य सहायक स्टाफ न होने के कारण इसका लाभ सिडकुल श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में भारत सरकार से वार्ता चल रही है। जल्द ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में भी ईएसआईसी अस्पताल प्रस्तावित किया गया है। इस घोषणा का सभी औद्योगिक संघों द्वारा स्वागत किया गया।

एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के उपाध्यक्ष श्री श्रीकर सिन्हा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर से ईएसआईसी अस्पताल की दूरी लगभग 50 मीटर है, परन्तु कनेक्टिंग रोड न होने के कारण किसी अप्रिय घटना होने पर 05 कि0मी0 की दूरी तय करके ईएसआईसी अस्पताल पहुंचना पड़ता है।

इस पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल से ईएसआईसी तक कनेक्टिंग रोड हेतु रू0 03.47 करोड़ का आगणन तैयार किया गया था, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। सिडकुल द्वारा इस प्रोजेक्ट पर कार्यवाही की जायेगी।

(vi) – **इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमिकों की अनुमति के संबंध में** – सीआईआई के प्रतिनिधि एवं एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि लेबर पंजीकरण एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 अन्तर्गत इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमिकों को रखा जाना निषेध किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इन्जीनियरिंग उद्योगों में बाजारा हमेंशा अस्थिर बना रहता है। इस स्थिति का सामना सिर्फ संविधा श्रमिकों द्वारा ही किया जा सकता है। उनके द्वारा इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमिकों को रखे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध मा0 मुख्यमंत्री जी से किया गया।

बिन्दु संख्या – 11 –उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा।

(i) – **पन्तनगर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाये जाने के संबंध में** – के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल एवं एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि पंतनगर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्री स्तर का बनाया जाये एवं नियमित फ्लाईट की सेवा प्रदान की जाये।

इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि पंतनगर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस दिशा में कार्य लगभग

पूर्ण हो चुका है। जो औपचारिकतायें शेष हैं, उन्हें भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को हैली सेवा से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।

अन्य बिन्दु –

(i) पेट्रोलियम नीति के सरलीकरण के संबंध में – बैठक में पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि जब डीजल व पेट्रोल की कालाबाजारी होती थी, उस समय कालाबाजारी रोकने हेतु डीएसओ लाइसेन्स को अनिवार्य किया गया था परन्तु वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया पेट्रोलियम विभाग द्वारा डीएसओ के लाइसेन्स हेतु 10 वर्ष की फीस अग्रिम जमा कराई जा रही है साथ ही प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाना भी अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पेट्रोलियम उद्योग की सुगमता हेतु इस पर विचार किया जाना चाहिये।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स के नवीनीकरण किये जाने की अवधि का विस्तार किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(ii) – रूड़की में स्थापित छोटी निर्यात इकाईयों हेतु औद्योगिक आस्थान बनाये जाने के संबंध में – बैठक में उपस्थित श्री केतन भारद्वाज, चैयरमेन, आर0एस0एस0आई0ए0 द्वारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया कि रूड़की में गली–मौहल्लों में ड्राइंग आईटम्स, गिफ्ट आईटम्स एवं ब्रास मेटल सहित अन्य कई प्रकार के प्लास्टिक आईटम्स की विनिर्माण इकाईयां कार्य कर रही हैं, जिनका वार्षिक टर्न ओवर लगभग रू0 300 करोड़ प्रति माह है। इन इकाईयों को आतिथि तक कोई पहचान नहीं मिल पाई है। ये इसी प्रकार गली–मौहल्लों में ही स्थापित हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इन इकाईयों को अपनी पहचान स्थापित करने एवं संगठित क्षेत्र में कार्य करने हेतु रूड़की में औद्योगिक आस्थान बनाया जाना चाहिये जहां पर ये इकाई सुविधापूर्ण कार्य कर सकेंगी एवं शहर को प्रदूषण आदि से भी निजात मिलेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त सुझाव की प्रशंसा की गई एवं इस सुझाव पर विचार करने हेतु कहा गया।

(iii) – एक जनपद दो उत्पाद सहित अन्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन किये जाने के संबंध में – बैठक में उपस्थित श्री केतन भारद्वाज चैयरमेन आर0एस0एस0आई0ए0 द्वारा एक जनपद एवं दो उत्पाद सहित जनपद में बनने वाले हथकरघा, हस्तशिल्प व अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सदन के सम्मुख सुझाव प्रस्तुत किया गया कि रूढ़की में लगभग 3000 युवा अलग–अलग क्षेत्र में ई–कॉमर्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। राज्य में एक जनपद दो उत्पाद योजना के तहत जो भी उत्पाद बनाये जा रहे हैं या जिन उत्पादों का निर्यात सम्भव है, उनके लिए रूढ़की में एक ई–कॉमर्स केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स केन्द्र के माध्यम से देश व प्रदेश में प्रस्तुत कर सके।

(iv) – प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 पर चर्चा – बैठक में उपस्थित विभिन्न औद्योगिक संघों द्वारा प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 पर चर्चा के दौरान निम्न सुझाव अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये –

- योजनान्तर्गत 05 वर्ष तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जाना चाहिये।

- सेवा क्षेत्र की को प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिये चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र अन्तर्गत हॉटल, रेस्टोरेन्ट आय का बड़ा स्रोत हैं।
- पूंजीगत उपादान सहायता को पूर्व की भांति 01 किश्त में ही भुगतान किया जाना चाहिये अथवा अधिकतम दो किश्तों में भुगतान किया जाना चाहिये, जिसमें 50 प्रतिशत उत्पादन से पूर्व एवं 50 प्रतिशत उत्पादन कार्य आरम्भ करने पर प्रदान की जानी चाहिये।
- एम0एस0एम0ई0 इकाईयों में कार्यरत कार्मिकों के ई0पी0एफ0 के मद में नियोक्ता की ओर से जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिये।
- औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई भूमि पर 100 स्टाम्प शुल्क प्रदान की जानी चाहिये।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।
- औद्योगिक इकाईयों को 10 वर्षों तक नगर निगम/नगर पालिका द्वारा लगाये जाने वाले कर से 100 छूट प्रदान की जानी चाहिये।
- वाणिज्यिक इकाईयों को विद्युत देयकों में 75 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति 05 वर्षों तक की प्रदान की जानी चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा वसूल की जानी वाली एस0जी0एस0टी0 पर 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।
- एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 एवं सिडकुल पंतनगर के उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में अधिकांश इकईयां ऑटोमोाबईल से विनिर्माण उत्पादन से संबंधित है, जिसे भविष्य में इलैक्ट्रोनिक वाहनों के उत्पादन में शिफ्ट किया जा सकता है। इस हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन के रूप में इलैक्ट्रोनिक वाहनों के पंजीकरण में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहियें। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि कई राज्यों में इलैक्ट्रोनिक वाहनों के निर्माण हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा विभिन्न करों में छूट प्रदान करना एवं पर्यावरण संरक्षण है।

(v) – **मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में सी0एस0आर0 सैल की स्थापना के संबंध में –** मा0 मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के उद्यमियों द्वारा सीएसआर मद से कराये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी सीएसआई सैल की स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एकत्र धनराशि के माध्यम से औद्योगिक व सामाजिक हित के कार्यों को सम्पन्न कराया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्यमियों से अपील की गई कि वे सी0एस0आर0 मद में सहयोग प्रदान करें।

एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा द्वारा बैठक के अन्त में निम्न बिन्दुओं को अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया –

(i) – **औद्योगिक सम्बन्ध (आईआर) से सम्बन्धित –** अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में औद्योगिक सम्बन्ध (आई.आर) की स्थिती दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त

श्रमिक संगठन के नाम से आये दिन सिडकुल पंतनगर के अन्दर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे कार्य किये जा रहे हैं जो कि उद्योगों के लिए सही नहीं है। महोदय, जिला प्रशासन द्वारा श्रमिक संगठनों को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना एवं अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए गांधी पार्क को चिन्हित किया गया है। महोदय आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए सिडकुल पंतनगर क्षेत्र के अन्दर इजाजत नहीं दी जाये एवं उन्हें चिन्हित किये गये स्थान पर ही धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाये ।

(ii) – सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में– अवगत कराया गया कि सिडकूल में उद्योगों की संख्या को देखते हुये एवं यहाँ की कानून व्यवस्था एवं ट्रेफिक को सुचारू रूप से व्यवरिथत करने के लिए सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। महोदय आपको बताना आवश्यक है कि सिडकूल में ट्रक मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहों, सर्विस लेन एवं उद्योगों के मुख्य द्वार की अगल–बगल में अधिक संख्या में खड़े रहते हैं। सुरक्षा के हिसाब से यह उचित प्रतीत नहीं होता है। गलत दिशा से वाहनों का आना–जाना लगा रहता है। इन सारी स्थितियों को देखते हुये पुलिस गस्त को बढ़ाना अति आवश्यक है।

(iii) – रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में – अवगत कराया गया कि इस विषय के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, एस0ई0डब्ल्यू0एस0 और क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क बनाने के लिए आदेशित किया जा चुका है परन्तु आतिथि तक कार्य की प्रगति नहीं ही गई है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बैइक में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि औद्योगि संघों/उद्यमियों से सरकार का संवाद निरन्तर बना रहे। जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में आ रही समस्याओं पर आपसी विचार–विमर्श कर समाधान किया जाता रहे। जल्द ही जनपद हरिद्वार में इन्वेटर समिट का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावि है, जिसके ब्राण्ड अम्बेसडर उद्यमियों को ही बनाया गया है। शासन स्तर उद्योग क्षेत्र से संबंधित बैठकों को सम्पूर्ण राज्य में अलग–अलग स्थानों पर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में रूद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं की लॉन्चिंग भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर की जायेगी। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमियों क अनुरोध पर उक्त बैठक प्रत्येक 06 माह के अन्तराल पर किये जाने हेतु महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया। पंतनगर में सिडकुल स्थापना में स्व0 श्री नारायण दत्त तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको ध्यान में रखते हुए सिडकुल पंतनगर में स्व0 श्री नारायण दत्त तिवारी जी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी। अन्य में महानिदेश/आयुक्त उद्योग द्वारा बैठक में उपस्थित मा0 मुख्यमंत्री जी, केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी सहित समस्त मंचासीन अधिकारीगणों के साथ–साथ औद्योगिक संघों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।